

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in, Fax/Phone :-> 07642-251014

क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 196

मण्डला, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
एवं पदेन मुख्य वनसंरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

विषय :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बम्हनी परिक्षेत्र के ग्राम मुगदरा में डोलोमाईट परियोजना रकबा 19.223 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण पर नवीनीकरण बावत्।

संदर्भ :-

- 1-आपका पत्र क्र0/मा0चि0/5911 दिनांक 22.09.2020.
- 2-इस कार्यालय का पत्र क्र0/मा0चि0/2020/936 दिनांक 10.09.2020 एवं क्र0/101 दिनांक 23.01.2021.
- 3-उप संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला का पत्र क्र0/मा0चि0/251 दिनांक 19.01.2021.
- 4-दूरभाष पर प्राप्त निर्देश दिनांक 15.02.2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, आपके संदर्भित पत्र के क्रम में वन परिक्षेत्र बम्हनी अंतर्गत ग्राम मुगदरा वनकक्ष क्रमांक 703 रकबा 19.223 हेक्टेयर में डोलोमाईट खनिज उत्खनन नवीनीकरण प्रकरण में प्राप्त निर्देश के तहत संघोरित प्रारूप, संलग्न कर 04 पृष्ठ प्रस्तुत है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार छायाप्रति।

(कमल अरोरा) भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी

पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in, Fax/Phone :-> 07642-251014

Recommendation by The Divisional Forest Officer, West (T) Division Mandla

ग्राम मुगदरा में डोलोमोईट उत्खनन प्रकरण पर नवीनीकरण के संबंध में

मण्डला जिले के पश्चिम (सा0) वनमण्डल मण्डला के वन प्रबंधन अंतर्गत ऑन लाईन पंजीयन क्रमांक/FP/MP/MIN/43378/2019 दिनांक 12.03.2020 के अनुक्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक मैनेजर, डालमिया सीमेंट भारत लिमि0 रिफेक्ट्री युनिट राजगांगपुर जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा) के द्वारा ग्राम मुगदरा में डोलोमाईट माईन परियोजना में परिक्षेत्र बम्हनी अंतर्गत कक्ष क्रमांक 703 में कुल आवेदित वनभूमि 19.223 हेक्टेयर के नवीनीकरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संबंधित उप संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला के पत्र क्र0/मा0चि0/251 दिनांक 19.01.2021 के अनुसार डोलोमाईट परियोजना में नवीनीकरण हेतु आवेदित स्थल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लाईन से 13.31 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा लाईन से बाहर होने फलस्वरूप उत्खनन नवीनीकरण कार्य के लिए, अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) ग्वालियर के द्वारा जारी ऑडिट आक्षेप की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यालयीन पत्र क्र0/मा0चि0/19/1798 दिनांक 23.07.2018, क्र0/1282 दिनांक 01.05.2019, क्र0/1495 दिनांक 22.05.19, क्र0/1584 दिनांक 31.05.19, क्र0/2742 दिनांक 23.10.2019 एवं क्र0/753 दिनांक 29.04.2020 से उक्त संस्थान को 60,16,799/- रुपये की शेष एन0पी0व्ही0 की राशि जमा करने बावत् उन्हें लेख किया गया है, किन्तु अब तक आवेदक एजेन्सी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं किया गया है।

स्थान:- मण्डला

दिनांक - 15.02.2021.


(कमल अन्सरी) भा0व0से0

वनमण्डलाधिकारी

पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

Check list for site inspection by the DFO (डोलोमाईट उत्खनन नवीनीकरण प्रकरण) :-

At present the Site Inspection Report submitted by the DFO level is very sketchy and does not convey much to higher officers going for verification of the facts in the field monitoring of the project on a later date as mandated in the guidelines. This is possible only when exhaustive check is carried out at the DFO level. This would help the higher authorities to verify the facts to arrive at appropriate decisions.

Sl. No.	Particular	Inspection Report By DFO West (T) Mandla
1	Extent is hecatres	19.223 हेक्टेयर
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Range - Bamhani N 22°26'36.770" E 80°23'15.818" N 22°26'34.023" E 80°23'17.738" N 22°26'30.631" E 80°23'16.328" N 22°26'29.664" E 80°23'17.165" N 22°26'30.364" E 80°23'19.650" N 22°26'26.361" E 80°23'20.862" N 22°26'24.361" E 80°23'14.035" N 22°26'25.856" E 80°23'11.769" N 22°26'29.339" E 80°23'11.829" N 22°26'32.742" E 80°23'02.708" N 22°26'32.712" E 80°23'56.976" N 22°26'29.510" E 80°23'57.367" N 22°26'29.561" E 80°23'55.950" N 22°26'32.652" E 80°23'54.909" N 22°26'32.143" E 80°23'51.900" N 22°26'34.670" E 80°22'51.532" N 22°26'33.975" E 80°22'43.703" N 22°26'31.567" E 80°22'44.023" N 22°26'31.285" E 80°22'41.766" N 22°26'35.858" E 80°22'41.218" N 22°26'37.728" E 80°22'51.858"
3	Legal status of the forest land(Protected forest,reserved forest,revenue forest lands or any other forest land)	आरक्षित वन
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	हाँ
5	Any signs of encroachment.	नहीं
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	नहीं

7	Status of vegetation, Site quality, species composition etc.,	वन की स्थल गुण श्रेणी V b है एवं वन का घनत्व 0.2 से कम है, जिसमें लेंडिया, सुबबूल, सागौन, पेल्टाफार्म इत्यादि पाये जाते हैं।
8	Importance of area from wildlife point of view, Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	मुख्य रूप से जंगली सुअर एवं घुटरी प्रजाति के वन्य जीव पाये जाते हैं। जिनसकी संख्या शेर गणना 2018 के अनुसार जंगली सुअर-52 एवं घुटरी-5 है।
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	नहीं
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, if not why?	वृक्षारोपण कार्यवृत्त
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	नहीं
12	Any dependent persons/families on this land.	नहीं
13	Any displacement of persons proposed.	नहीं
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	नहीं
15	Compensatory a forestation proposed is on forest land or non - forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	नवीनीकरण प्रकरण है।
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms.	उप संचालक, कान्हा टाईगर रिवर्ज मण्डला के पत्र क्र0/251 दिनांक 19.01.2021 के अनुसार आवेदित स्थल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 13.31 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा लाईन से बाहर है।
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा०चि०/2020/711 दिनांक 10.07.2020 एवं क्रमांक/1571 दिनांक 21.07.2020 से आवेदक एजेन्सी को FRA के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने बावत् लेख किया गया है, जो कि अपेक्षित है, छायाप्रति संलग्न है। तद्संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वचन-पत्र संलग्न है।
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होगा।

19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	डोलोमाईट उत्खनन नवीनीकरण के पूर्व के NPV की शेष राशि 60,16,799/- रुपये वसूल किया जाना शेष है। कार्यालयीन नोटिस क्रमांक/मा0चि0/18/1798 दिनांक 23.07.18 एवं स्मरण पत्र क्र0/मा0चि0/2020/ 1718 दिनांक 28.08.2020 से कार्य एजेन्सी को राशि जमा करने के लिए लेख किया गया है, अब तक राशि अपेक्षित, छायाप्रति संलग्न है।
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	नहीं
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	नवीनीकरण प्रकरण है।
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	नहीं
23	Any other issue of significance.	नहीं
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	उपरोक्तानुसार डोलोमाईट उत्खनन नवीनीकरण के लिए, अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

Place : Mandla

Date : 15.02.2021.


(Kamal Arora)

I.F.S.

Divisional Forest Officer
West (T.) Division Mandla

कार्यालय क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला (म.प्र.)

Ph. No. 07642-250760, Fax. No. 07642-251266

E-mail: fdknp.mdl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./251

मंडला, दिनांक/19.01.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम सामान्य वनमण्डल,
मण्डला (म.प्र.)

विषय : वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बम्हनी परिक्षेत्र के ग्राम मुगदरा से डोलोमाईट परियोजना रकबा 19.223 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण पर नवीनीकरण बाबत।

संदर्भ :

1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./1782, दिनांक 17.07.2020.
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2108, दिनांक 30.09.2020 एवं
3. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. का पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./निर्देश/5627, दिनांक 29.09.2020
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3237, दिनांक 27.11.2020
5. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2940, दिनांक 16.12.2020
6. सहायक संचालक, सिझौरा, बफर जोन वनमण्डल का पत्र क्रमांक/84, दिनांक 18.01.2021

D M.

Divisional Forest Officer (T)
West Mandla Division
19/01/21

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने कष्ट करें। कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि./1782, दिनांक 17.07.2020 द्वारा डोलोमाईट खनिज उत्खनन नवीनीकरण प्रकरण अंतर्गत आवेदित क्षेत्र ग्राम-मुगदरा, वन कक्ष क्रमांक 703 स्थित रकबा 19.223 हेक्टेयर भूमि के जीपीएस निर्देशांक बिंदुओं बिंदुओं के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/ईको सेंसेटिव जोन की स्थल से दूरी की जानकारी तथा अभिमत प्रेषित किया गया था। आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2108, दिनांक 30.09.2020 द्वारा रिपोर्ट के संबंध में तदनुसार पुनर्विचार कर पुनरीक्षित अभिमत प्रेषित करने हेतु लेख किये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3237, दिनांक 27.11.2020 द्वारा पुनरीक्षित अभिमत प्रेषित किया गया था।

वर्तमान में आपके संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2940, दिनांक 16.12.2020 द्वारा पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लेख किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1782, दिनांक 17.07.2020 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र एवं सहायक संचालक, सिझौरा, बफर जोन वनमण्डल का पत्र क्रमांक/84, दिनांक 18.01.2021 अनुसार आवेदित स्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 13.31 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वरिष्ठ कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 में दिये गये निर्देशानुसार "जिन संरक्षित क्षेत्रों के ईको सेंसेटिव जोन की अंतिम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2006 के प्रावधान (10 किलोमीटर की परिधि) लागू होंगे।" अतः उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित है। सूचनार्थ संप्रेषित है।



उप संचालक
कान्हा टायगर रिजर्व
मण्डला
18.01.21